समाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाएं
(Social Security Pension)

राज्य योजनाएं

1. वृद्वावस्था पेंशन योजना
(Old Age Pension Scheme)

उदेश्य

बेसहारा वृद्वों को समाजिक सुरक्षा प्रदान करना।

पात्रता

ऐसे वृद्ध व्यक्ति जिनकी आयु 60 वर्ष या इससे अधिक हो तथा उनकी देख रेख/पालन पोषण का उचित साधन न हो तथा न ही वयस्क पुत्र हो व जिनकी वार्षिक आय समस्त स्त्रोतों से ₹ 35000/— से अधिक न हो।

अथवा

ऐसे वृद्ध व्यक्ति जिनके परिवार की वार्षिक आय समस्त स्त्रोतों से ₹ 35000/— से अधिक न हो ।

सहायता

60 वर्ष से 79 वर्ष की आयु के पैशनरों को ₹ 700/— प्रतिमाह
70 वर्ष या इससे अधिक की आयु के पैशनरों को ₹ 1250/— प्रतिमाह

(02 जनवऱी 2018, से 70 वर्ष या इससे अधिक आयु वर्ग के सभी व्यक्तियों (उन व्यक्तियों को छोड़कर जो कोई भी अन्य पैशन प्राप्त कर रहे है) को बिना किसी आय सीमा के पैंशन का प्रावधान किया गया है।)

2. विकलांगता राहत भता

(Disability Relief Allowance)

उदेश्य

विकलांग व्यक्तियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना।

पात्रता

क)

(i) ऐसे अपंग व्यक्ति जिन्हें "जिनमें अक्षमताऐं (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण, एवं पूर्ण भागीदारी)" अधिनियम 1965 की धारा 2 में उपंगता की परिभाषा के अनुसार गठित चिकित्सा बोर्ड से जिन्हें 40 से 69 प्रतिशत प्रमाणित की गई हो तथा जिनके कोई भी व्यस्क बच्चें न हो तथा वार्षिक आय समस्त स्त्रोंतों से ₹ 35000/— से अधिक न हो।

अथवा

ऐसे अपंग व्यक्ति जिनके विकलांगता चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा 40से 69 प्रतिशत प्रमाणित की गई हो तथा जिनके परिवार की वार्षिक आय समस्त स्त्रोंतों से ₹ 35000/— से अधिक न हो।

(ii) ऐसे अपंग वयस्क बच्चे जिनकी विकलांगता चिक्त्सा प्राधिकारी से 40 से 69 प्रतिशत प्रमाणित की गई हो व जनके माता –पिता/ अभिभावक (यदि माता पिता जीवित नहीं है) की वार्षिक आय समस्त स्त्रोंतों से ₹ 35000/— से अधिक न हो।

ख) ऐसे अपंग व्यक्ति जिनके विकलांगता चिक्तिसा प्राधिकारी से 70 प्रतिशत या इससे अधिक प्रमाणित की गई हो तथा जो सरकारी/अर्ध सरकारी/अर्ध सरकारी/निगमों/ बोर्डो इत्यादि में कार्यर त न हो व अन्य किसी भी प्रकार की पैशन प्राप्त न कर रहे हो, बिना किसी आयु तथा आय सीमा की शर्त के अपंग राहत भता के पात्र।

ग) मानसिक रूप से अविकसित या पागल बच्चों/व्यक्तियों को अपंग राहत भत्ता उनके माता / पिता /अभिभावकों के माध्यम से दिया जाता है।

घ) चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा जारी विकंलागता प्रतिशतता प्रमाण–पत्र चाहे वह सामाजिक न्याय एंव अधिकारीता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की विकलांगताओं के मुल्यांकन तथा प्रमाणित करने हेतु जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार बहु–विकंलागता (multiple-disability) का प्रमाण पत्र जारी किया गया हों तथा कुल विकलांगता 40 प्रतिशत या इससे अधिक प्रमाणित की गई हो, अपंग राहत भत्ता स्वीकृति हेतु मान्य होगा।

मानसिक रूप से अविकसित व्यक्तियों को विना आय सीमा के पैंशन प्रदान की जाएगी ।

सहायता

₹ 700/— प्रतिमाह ।(जिनकी विकलांगता चिकित्सा प्राधिकरी से 40 से 69 प्रतिशत प्रमाणित की गई हो)

₹ 1250/— प्रतिमाह । (जिनकी विकलांगता चिकित्सा प्राधिकारी से 70 प्रतिशत या इससे अधिक प्रमाणित की गई हो)

3.विधवा/परित्यक्ता /एकल नारी पैशन योजना

(Pension Scheme for Widow/Deserted/Single Women)

उदेश्य

विधवा/ परित्यक्ता /एकल नारी महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना।

पात्रता

ऐसी महिला जो विधवा /परित्यक्त अथवा 45 वर्ष से अधिक आयु की एकल नारी हो तथा जिनकी देख रेख/पालन पोषण का उचित साधन न हो तथा न ही व्यसक पुत्र हो व उनकी वार्षिक समस्त स्त्रोतों से ₹ 35000/– से अधिक न हो सहायता ₹ 700/– प्रतिमाह।

4. कुष्ठ रोगियों को पुर्नवास भत्ता

(Rehabilitation Allowance to Lepers)

उदेश्य

कुष्ठ रोगियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना।

पात्रता

ऐसे कुष्ठ रोगी जो किसी सरकारी/अर्ध सरकारी/निगमों/बोर्डो इत्यादि में कार्यरत न हो तथा स्वास्थ्य एंव परिवार कल्याण विभाग में उपचाराधीन हो। भत्ता प्राप्त करने के लिए आयु तथा आय सीमा लागू नहीं है।

सहायता

₹ 700/– प्रतिमाह।

5.ट्राँसजैण्डर पैन्शन (Transgender)

उदेश्य

ट्राँसजैण्डर को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना।

पात्रता

ऐसे ट्राँसजैण्डर जो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा अधिसूचित राज्य स्तरीय/ जिला स्तरीय चिकित्सा बोर्ड द्वारा पहचान किए गए हो, बिना किसी आयु तथा सीमा के ट्रासजैण्डर पैशन हेतु पात्र है।

सहायता

₹ 700/– रू प्रतिमाह।